

Central Water Commission  
Technical Documentation Directorate  
Bhagirath(English)& Publicity Section

\*\*\*\*\*

West Block II, Wing No-5  
R K Puram, New Delhi - 66.

Dated 17.05.2018

Subject: Submission of News Clippings.

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission. The soft copies of clippings have also been uploaded on the CWC website.

Encl: As stated above.

on leave  
SPA (Publicity)

Deputy Director (Publication)

An  
17/5/18

For information of Chairman & Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned,  
uploaded at [www.cwc.nic.in](http://www.cwc.nic.in)

O/C



News item/letter/article/editorial published on 16/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
✓ Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrachalam (English) & Publicity Section, CWC

## Uttam appeals to Govt to visit Pranahitha-Chevella project

**DC CORRESPONDENT**  
KUMARAMBHEEM ASIFABAD,  
MAY 15

TPCC chief N. Uttam Kumar Reddy on Tuesday appealed to the Governor, top bureaucrats and political leaders of other states to visit Pranahitha-Chevella irrigation project at Tummidihatti to know the facts that it is a gravity-based project unlike Kaleshwaram where water is lifted using electricity.

Stating that the Congress would storm to power in Telangana in the next election by defeating the TRS, BJP and MIM, Mr Reddy alleged that the TRS government was influencing observers to visit the Kaleshwaram project.

He led a team of Congress leaders to the Pranahitha-Chevella project site at Tummidihatti, where he questioned why Chief Minister K. Chandrasekhara Reddy failed to start the construction of the Sujala Sravanti Pranahitha-Chevella project in the last four years at Tummidihatti in Chinthalamanepalli mandal.

"Work on the Pranahitha-Chevella project that is aimed at irrigating 16 lakh acres has not even begun yet. KCR has started Kaleshwaram and ignored Pranahitha-Chevella only for the sake of commissions from contractors," the TPCC chief said.

Mr Reddy said that he was



TPCC president N. Uttam Kumar Reddy, along with other Congress leaders, visit the Pranahitha at Tummidihatti in Kautala mandal of Kumarambheem Asifabad district on Tuesday.

— P. ANIL KUMAR

fighting against the corruption and irregularities being committed by the TRS government and Mr Rao's family. "I will work for development of the people of Telangana and bring the Congress to power with the same commitment that I displayed in protecting by country when I was in the armed forces," Mr Reddy said.

Later, addressing a massive public meeting, Mr Reddy demanded to know why the state government failed to reopen the Nizam Sugar factory and SPM factory.

TPCC working president Mallu Bhatti Vikramarka said the Congress will give

people's government and not a feudal rule in Telangana when it wins the next elections. "We will fulfil the aspirations of the people of Telangana," Mr Vikramarka said.

He said that once the Congress comes to power, it will construct the Pranahitha-Chevella project with a height of 152 metres as planned earlier.

Kakatiya University Students JAC president Pruthvi Raj joined the Congress in the presence of Mr Reddy.

Legislative Council Floor leader Mohd. Ali Shabbir and Congress official spokesperson Dasoju Shraavan and others were present.



News item/letter/article/editorial published on 16/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhagirath(English) & Publicity Section, CWC

# Day after Godavari mishap, 14 bodies found


**EXPRESS NEWS SERVICE**  
HYDERABAD, MAY 16

DIVERS OF the Indian Navy and teams of the NDRF and fire and emergency services have pulled out 14 bodies from the motor launch which capsized in Godavari river on Tuesday evening. The number of missing persons is yet to be confirmed.

The launch, found at a depth of 60 feet barely 100 metres from the shore near a tribal hamlet named Varapalli, was salvaged with the help of a crane and boats.

Officials at Devipatnam police station said bodies of eight women, four children and two men were recovered from the cabin of the vessel, which sank during a squall on Tuesday evening. At least 40 people, Kondareddy tribals from hamlets along the river, were on board the launch headed for Varapalli.

"The bodies were found in the cabin where they had taken shelter from the rain and high speed



Rescue teams could not locate the missing vessel on Tuesday night due to bad weather. AP

winds when the storm hit on Tuesday afternoon. They had locked the windows and door to escape the rain and had no chance to come out when the boat tilted and capsized suddenly. Divers broke open the windows and a door to bring out the bodies," an official said.

Chief Minister N Chandrababu Naidu visited the spot to oversee rescue efforts. He said several factors were behind the accident. "The launch owner who was onboard picked up some cement bags along the way which increased the weight drastically. We are verifying how

many bags were loaded on the boat... Survivors have said that despite requesting the owner and driver to make it to the shore and anchor at a safe location, they (driver and owner) disregarded it... Those who were on the outer deck escaped by jumping. The launch owner and driver

did nothing to help; they saved their own lives.

"I have announced ex-gratia of Rs 10 lakh, a house under the Relief and Rehabilitation scheme for the Polavaram project, and government jobs if any of the families lost an earning member. We will ensure that the children in the affected families are enrolled in residential schools and their education is taken care of," Naidu said.

At least 20 people on board the launch swam ashore, officials said. Among the survivors was 14-year-old Sirisha who jumped out of the launch and hung on to a packed refrigerator, which someone had loaded on the vessel. "The packing had not been opened so there was a lot of thermocol due to which it floated and the girl hung on to it and waded towards the shore. She was rescued by locals," an official said.

Divers failed in trying to locate the boat on Tuesday night due to the bad weather and darkness.

The driver and boat owner have surrendered.



News item/letter/article/editorial published on 16/5/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrirath(English)& Publicity Section, CWC

# Approach Yamuna Board for water, SC tells govt

IANAS  
NEW DELHI, 16 MAY

**H**aryana on Wednesday assured the Supreme Court that it will not disrupt the supply of Yamuna river water to Delhi till Monday, as the court asked the Delhi government to approach the Upper Yamuna River Board (UYRB) for adjudication of water sharing dispute between the two states.

A bench headed by Justice Madan B. Lokur asked the Delhi Jal Board (DJB) to make a request before Haryana on Wednesday itself, on which Haryana would take a decision on the amount of water to be released to Delhi till Monday.

The apex court also pulled up the DJB for approaching the National Green Tribunal (NGT), Delhi High Court, against Haryana on water sharing, as the issue has to be decided by the UYRB, a statutory body.

"You can always go to the



Board, it's an expert body set up particularly for this purpose. Why should we do the job if expert body?" the bench said.

The DJB which had approached the court saying it has not been receiving sufficient water from Haryana, withdrew its plea to move before the Board.

The Board would decide the issue on release of water by Haryana "independently", said the court.

The Centre set up the the Board primarily to regulate allocation of available water among six beneficiary basin states and also for monitoring the return flow.

As the DJB repeatedly requested that status quo on supply of water be maintained, the bench said make a request before Haryana as it's been "very reasonable" in its approach on sharing of

Yamuna water with Delhi.

The bench was hearing a plea filed by the DJB against a daily shortfall of 120 cusecs of water from the Yamuna.

The DJB had sought instructions to Haryana to supply 450 cusecs of potable water daily to Delhi, as agreed between the two states.

Haryana was supplying only 330 cusecs of water daily to Delhi as against 450 cusec per day, the DJB peti-

tion said.

With Delhi facing water shortage, the DJB had moved the Supreme Court for directions to Haryana to release adequate water to the Wazirabad reservoir, alleging that Yamuna water supply had been reduced by one third.

"Delhi is in the midst of an acute water crisis owing to stop in supply of water by Haryana into the Yamuna, which is meant for drinking purposes in Delhi," the DJB plea said.

The DJB's water treatment plants have been functioning below capacities over the past few weeks due to a drop in Yamuna water level and release of polluted water from Haryana that could not be treated, it added.

Yamuna water sharing between Delhi and Haryana has been a contentious issue for decades and the apex court had ordered Haryana to release 450 cusecs of water daily to Delhi in February 1996.



News item/letter/article/editorial published on 17/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrirath (English) & Publicity Section, CWC

## SC rejects Karnataka plea on Cauvery plan

The provision makes the decision of the Centre "binding."

"The Central government's authority is not final. The Centre has to understand our judgment better," Chief Justice Misra observed orally. Puducherry said giving the Centre such unbridled power would 'politicise' the issue. Chief Justice Misra observed that such a provision is against the Supreme Court's February 16 judgment.

Though Mr. Venugopal said the provision was only meant as a 'safety valve' if the States do not 'co-operate' with the Cauvery implementing authority, the court stood firm and asked the Centre to amend the provision.

Tamil Nadu, represented by senior advocates Naphade, Rakesh Dwivedi and

advocate G. Umapathy, took offence to a second provision which directs the Cauvery authority to comply with any and all directions given to it by the Centre from time to time.

"This way the Centre can give any instructions from time to time... What wide powers! The provision is too broad. Please look into it," Mr. Dwivedi addressed the Bench.

Mr. Venugopal said the provision was only confined to the working of the authority and did not extend to the water-sharing part. The court asked the Centre to make this point clear in the provision.

It agreed with Tamil Nadu that the headquarters of the Cauvery authority should be in New Delhi and not in Bengaluru, as in the draft scheme.



News item/letter/article/editorial published on 17/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrath(English)& Publicity Section, CWC

## Telangana proposes to give alerts on lightning

Move follows several deaths recently

M. RAJEEV  
HYDERABAD

The Telangana government has initiated steps to put in place early warning systems in vulnerable areas to alert people about possible lightning and thunderbolt strikes.

The development comes in the light of deaths reported due to lightning and thunderbolt strikes over the past few weeks. Reports said 11 deaths were caused due to lightning/thunderbolts in the past few weeks on account of unseasonal rains that lashed different parts of the State.


Taking note of the increasing fatalities, the Disaster Management Department had initiated talks with a U.S.-based agency specialised in weather mon-

itoring and alerts. Once an agreement is reached, necessary early warning systems would be put in place in about 11 centres across the State.

According to Disaster Management Commissioner R.V. Chandravadan, the State would provide necessary infrastructure and the U.S. agency would set up the systems for sending periodic alerts.

Mr. Chandravadan said that as part of the agreement, the State would set up systems at designated locations and the U.S.-based agency would operate them, sending alerts. The agreement is likely to entail payment of ₹50 lakh a year to the agency for rendering the services on a continuous basis.

## Hope flows



A view of the Podur river, one of the tributaries of the Bharathapuzha, in suburban Palakkad, giving fresh hopes to people of the district. Rainfall during April-May has led to an increased flow of water in the Bharathapuzha. ■ K. K. MUSTAFAH



News item/letter/article/editorial published on 17/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrath(English)& Publicity Section,CWC

# तकनीकी मुद्दे उठाकर हमें मूल सवाल से भटका रहा है पाकिस्तान सिंधु जल संधि से अब पीछा छुड़ा ले




भरत झुनझुनवाला

सिंधु जल संधि के तहत झेलम नदी का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। भारत द्वारा झेलम पर किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस परियोजना के लिए झेलम की सहायक नदी नीलम के पानी को झेलम में ले जाया जा रहा है, जिससे किशनगंगा प्रोजेक्ट को पर्याप्त मात्र में पानी मिल सके। ये दोनों नदियां हमारी सरहद को अलग-अलग पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। पाकिस्तान नीलम नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। उसकी आपत्ति है कि नीलम के पानी को झेलम में स्थानांतरित करने के कारण नीलम नदी में पानी कम रह जाएगा और पाकिस्तान द्वारा बनाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि नीलम के पानी को किशनगंगा में ले जाकर भारत उस पानी की खपत नहीं करता। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जितना पानी एक दिन में ऊपर से आता है, वह सारा का सारा बिजली बनाने के बाद पाकिस्तान को सप्लाई कर दिया जाता है।

## बेकार की आपत्ति

नीलम के पानी को झेलम में ले जाने का प्रभाव केवल यह पड़ेगा कि पहले जो पानी नीलम नदी के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करता था, वह अब झेलम नदी के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। पाकिस्तान को मिलने वाले कुल पानी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। केवल उसका प्रवेश का स्थान बदल जाएगा। फिर भी पाकिस्तान ने इस समस्या को विश्व बैंक के सामने उठाया। इस संधि में व्यवस्था है कि किसी तरह के विवाद में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की जाएगी। विश्व बैंक ने निर्णय लिया कि भारत नीलम के आधे पानी को किशनगंगा में ले जा सकता है। पाकिस्तान ने दूसरी आपत्ति यह उठाई है कि किशनगंगा प्रोजेक्ट के कारण झेलम नदी की गाद के



सिंधु जल संधि यदि दोनों देशों के बीच सद्भाव और मित्रता का कारण नहीं बन पा रही तो इस समझौते का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है

प्रवाह में अंतर पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा।

सामान्य परिस्थिति में नदी अपने साथ गाद लेकर बराबर बहती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में डैम के पीछे झील बन जाती है। झील में गाद नीचे बैठने लगती है। शीघ्र ही झील पूरी तरह गाद से भर जाती है। तब टरबाइन में पानी के साथ-साथ गाद भी प्रवेश करने लगती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों में डैम के नीचे गेट लगाए जाते हैं। इन गेटों को समय-समय पर जैसे सप्ताह में एक बार खोल लिया जाता है जिससे डैम के पीछे जमा हुई गाद एक ही झटके में नीचे बह जाती है और झील साफ हो जाती है। पाकिस्तान का कहना है कि गाद के एकाएक बहाव से झेलम पर पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को

नुकसान होगा। इसलिए भारत को फ्लशिंग गेट बनाने से रोका जाए। इस विषय पर भी विश्व बैंक ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया है। संधि पर विवाद इस समय इन्हीं तकनीकी विषयों को लेकर है।

भारत ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर इसलिए किए थे कि पाकिस्तान के साथ सद्भाव और मित्रता बनी रहे। संधि की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सद्भाव और मित्रता की भावना से पाकिस्तान और भारत इस संधि में प्रवेश कर रहे हैं। यह सर्वमान्य है कि किसी भी कानून का विवेचन उसकी प्रस्तावना को देखते हुए किया जाता है। यदि सिंधु जल संधि से पाकिस्तान और भारत के बीच सद्भाव और मित्रता नहीं बन रही है तो इस समझौते का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है और भारत को इससे बाहर आने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इस समझौते में व्यवस्था है कि इसमें कोई भी परिवर्तन दोनों देशों की सहमति से ही किया जाएगा। अभी दो पक्ष सामने हैं। एक, यदि भारत संधि से बाहर आता है तो हम कह सकते हैं कि सद्भाव और मित्रता की भावना नहीं बन रही है इसलिए हमारा बाहर आना वाजिब है।

दूसरा पक्ष संधि की इस व्यवस्था से जुड़ा है कि दोनों देशों की सहमति से ही इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा। एकतरफा तौर पर संधि तोड़कर हम इस व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे होंगे। लेकिन जब हम संधि को ही निरस्त करते हैं तो संधि के सारे प्रावधान अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे।

मूल बात यह है कि यदि सद्भाव और मित्रता नहीं बन रही है तो भारत को इस संधि को एकतरफा निरस्त करने में कोई हिचक होनी चाहिए। भारत अपनी छह नदियों का 80 प्रतिशत पानी सद्भाव और मित्रता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को दे रहा है, जबकि पाकिस्तान सद्भाव और मित्रता बनाने के स्थान पर हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। छोटी-छोटी आपत्तियां दर्ज करार पाकिस्तान ने हमारा ध्यान 80 प्रतिशत पानी के आवंटन से भटका दिया है। नतीजा यह है कि हम अपने विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को पोषित करने वाले मुल्क को अपना 80 प्रतिशत पानी दे रहे हैं और इस विषय को उठा भी नहीं पा रहे हैं। सच कहा जाए तो पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ बना दिया है। जैसे किसी प्रॉपर्टी विवाद में कोई बीच में आपत्ति उठाए कि आप सही ढंग से कपड़े पहनकर नहीं आए और इस तरह सारी बहस को पहनावे पर मोड़ दे।

## रिश्ते ठीक नहीं

यह परिस्थिति कुछ वैसी ही है। संधि का मूल विषय पानी का बंटवारा है। पाकिस्तान ने हमको उस मूल विषय से भटकाकर छोटे-छोटे तकनीकी पेचों में उलझा दिया है। भारत को चाहिए कि तत्काल सिंधु जल संधि को निरस्त करे और पाकिस्तान को नोटिस दे कि सद्भाव और मित्रता की भावना ही इस संधि का आधार थी और चूंकि यह भावना इस समय नहीं बन पा रही है लिहाजा इस संधि का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। भारत को पाकिस्तान द्वारा चली गई चाल से बाहर आना चाहिए और छोटे विषयों में ना उलझकर पानी के बंटवारे के मूल विषय को उठाना चाहिए।



Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrath(English) & Publicity Section, CWC

पानी परिवहन पर हो रहा विचार

## जहां से पानी लेना, वहां भी सूखा

तीन संभागों में  
भीषण जलसंकट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क  
rajasthanpatrika.com

**भोपाल.** चुनावी साल में सरकार के लिए पानी बड़ी परेशानी बन गया है। तीन संभागों में भीषण जलसंकट के हालात हैं। पानी के इंतजाम दम तोड़ते जा रहे हैं। सरकार ने दूसरे बांधों से पानी लिफ्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन जहां से पानी लिया जाना है, वहां भी सूखे के हालात हैं।

ग्वालियर में ककेटो डैम से पानी लिफ्ट करके तिगरा डैम में छोड़ा जा रहा था। तिगरा डैम से पेयजल आपूर्ति के लिए दिया जाता था। अब ककेटो डैम में भी पानी बेहद कम बचा है। आगे चलकर

पेयजल आपूर्ति कहां से की जाए इसका संकट खड़ा हो गया है। बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्र में भी पानी को लेकर भयावह स्थिति है। इन जिलों में भी पेयजल आपूर्ति के लिए पानी लिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन वैकल्पिक बांधों में भी जलस्तर घट चुका है। पानी लिफ्ट करने के प्लान को किनारे रख दिया गया है।

**वैकल्पिक इंतजाम  
पर होगा मंथन**

सरकार वैकल्पिक इंतजाम के लिए रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अगले हफ्ते बैठक हो सकती है। इसमें पानी को लिफ्ट न करने की स्थिति में परिवहन के अलावा और विकल्पों पर विचार होगा।

**मानसून पर टिकी उम्मीद**

जलसंकट के भयावह होते हालात के बीच सरकार की उम्मीद मानसून पर टिकी है। प्रदेश में मानसून औसतन 13 जून तक आता है, लेकिन यदि लेट होता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। वर्तमान में अधिकतम मई अंत तक पानी को लेकर आपूर्ति की स्थिति है। इसके बाद की चिंता सरकार को है।

जिन बांधों से पानी लिफ्ट करने का विचार था, उनमें भी जलस्तर बेहद कम है। पानी को लिफ्ट करने के वैकल्पिक इंतजामों पर सोचा जा रहा है।

**- राजीव सुकलीकर, प्रमुख  
अभियंता, जल संसाधन विभाग**



News item/letter/article/editorial published on 17/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrath(English)& Publicity Section, CWC

## टिहरी झील में मंत्रिमंडल की बैठक

नई टिहरी, प्रमोद चमोली (पंजाब केसरी): पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश देने के लिए त्रिवेन्द्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक टिहरी झील में आयोजित की गई। फ्लोटिंग मरीना (तैरते रेस्तरां) में आयोजित कैबिनेट में उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने पर मुहर लगाई गई। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है, जब टिहरी झील में तैरते रेस्तरां में कैबिनेट के सदस्य राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों को पर्यटन उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। यही नहीं आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी, साहसिक पर्यटन, ग्लाइडिंग, वाटर खेल, राफ्टिंग को पर्यटन उद्योग का दर्जा देने पर मुहर लगाई गई। इसके अंतर्गत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।



झील में बैठक से पूर्व हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री।  
(छाया : पंजाब केसरी)

### फ्लोटिंग मरीना को फूलों से सजाया था

फ्लोटिंग मरीना को रंग बिरंगे

फूलों से सजाया गया था। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बोट पर सवार होकर फ्लोटिंग मरीना तक पहुंचे। वन मंत्री हरक सिंह रावत रावत देरी से झील पहुंचे। तब तक फ्लोटिंग मरीना काफी आगे निकल चुकी थी। उनके लिए मरीना को रोका गया। फिर दूसरी बोट से हरक सिंह रावत को मरीना तक पहुंचाया गया।



News item/letter/article/editorial published on 17/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
✓ Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhagirath(English) & Publicity Section, CWC

### अवैध जल संयंत्रों पर कार्रवाई के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तीनों नगर निगमों को अवैध रूप से चल रहे वाटर कूलिंग संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से स्थापित किए गए ये संयंत्र मास्टर प्लान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मिश्र और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एक बेंच ने तीनों नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस भी जारी किया है। हाईकोर्ट का ये निर्देश एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दाखिल की गई याचिका पर आया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये जल संयंत्र उन कमर्शियल क्षेत्रों में अधिसूचित सड़कों पर चलाए रहे हैं। जिससे ये साफ़तौर पर दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन है। एनजीओ सोराइटी फॉर होलीस्टिक अप्रोच और डेवलपमेंट द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य वरिष्ठों द्वारा ऐसी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के अपने ही अधिकारियों के आदेश की इपेक्षा की गई है। याचिका में कहा गया है कि आदेश पारित होने के बावजूद भी सड़कों पर पानी उड़ा करने वाले अवैध और अनधिकृत संयंत्र चल रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद अदालत ने ईडीएमसी को अपने अधिकारियों द्वारा दिए आदेश के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया और इस मामले को 19 सितंबर तक टाल दिया।



News item/letter/article/editorial published on 17/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhadrath(English)& Publicity Section, CWC

## कावेरी प्राधिकरण बनेगा, दिल्ली में होगा मुख्यालय 17/5

पत्रिका ब्यूरो

rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कावेरी ड्राफ्ट मसौदे में तीन संशोधन करें। पहला कि मसौदे में बोर्ड की जगह अथॉरिटी करें। दूसरा कि मुख्यालय बेंगलूरु से दिल्ली करें और तीसरा यह नियम हटाएं कि किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला मान्य होगा और अथॉरिटी को उसे मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ड्राफ्ट मसौदे में संशोधन कर लेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट कल यानि 17 मई इस मामले पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया कि राज्य में सरकार बनने तक सुनवाई टाल दी जाए। कर्नाटक सरकार की इस मांग का तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया। सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने ड्राफ्ट मसौदे पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। केरल ने कहा कि हम अथॉरिटी पर 15 फीसदी रकम क्यों खर्च करें जब हमें पानी 4 फीसदी ही मिलेगा।



News item/letter/article/editorial published on 17/05/2018 in the

Hindustan Times  
Statesman  
The Times of India (N.D.)  
Indian Express  
Tribune  
Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi)  
Punjab Keshari (Hindi)  
The Hindu  
Rajasthan Patrika (Hindi)  
Deccan Chronicle  
Deccan Herald

M.P. Chronicle  
Aaj (Hindi)  
Indian Nation  
Nai Duniya (Hindi)  
The Times of India (A)  
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC

# जांच होती रहेगी, पहले गोमती से जलकुंभी तो हटवा दीजिए



लखनऊ. लखनऊ की लाइफ लाइन गोमती मर रही है। ऊपर से यह खूब हरी-भरी दिख रही है लेकिन कई जगह जलधारा सूख गयी है। मछलियां मर गयी हैं। अन्य जलीय जीव जंतु भी गायब हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक चिंतित हैं। वे कह रहे हैं आज से दो साल पहले लखनऊ में जिस हालत में गोमती थी उससे भी बदतर स्थिति अब हो

गयी है। जलकुंभी साफ न की गयी तो आने वाले सालों में गोमती नाला भी नहीं रह जाएगी।

कारण यह है कि जलकुंभी की वजह से सूर्य की किरणें बाकी बचे पानी तक नहीं पहुंच पा रहीं। पानी में घुली ऑक्सीजन भी कम हो गयी है। इससे न केवल मछलियां मर गयीं बल्कि अन्य जलीय जंतुओं का अस्तित्व मिट रहा है।

सरकार है वह गोमती में हुए घपले घोटाले तक ही सीमित है। उसे उसके अस्तित्व को बचाने से ज्यादा फिक्र अखिलेश सरकार के मंत्रियों और अफसरों को जेल भेजवाने की है। हालांकि इसमें भी कोई प्रगति नहीं दिखती। अखिलेश गए नयी सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। 27 मार्च 2017 को गोमती रिवर फ्रंट का

## नदी साफ रखने के लिए अटल से लेकर टंडन तक रहे चिंतित

जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लखनऊ से सांसद बने थे तब से गोमती को साफ किया जा रहा है। कई बार मंत्री रह चुके लालजी टंडन की तो जैसे जान ही गोमती में बसती है। वे अपने मंत्रित्व काल में गोमती के उद्धार को लेकर बहुत चिंतित रहे। लेकिन गोमती एक्शन प्लान से आगे कुछ नहीं कर पाए।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। गोमती से तलाछट, रेत और गाद निकाली गई। इस पर कमीशन बंटा और अगली बारिश में यही गंदगी फिर गोमती में समाहित हो गयी। तब से यही सिलसिला जारी है। हां, गुलाला घाट, 1090 चौराहा आदि के पास गोमती का सुंदरीकरण करके

उसके पार को जरूर काम कर दिया गया। लालजी टंडन, मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी गोमती को लेकर चिंता दिखाई। अखिलेश सरकार में 1500 करोड़ की गोमती रिवर फ्रंट परियोजना शुरू हुई। नदी की खुदाई हुई। मिट्टी निकाली गयी। कुछ पक्के निर्माण हुए कुछ पूरे हुए।

निरीक्षण करने पहुंचे।

## समिति गठित

भ्रष्टाचार पकड़ा और चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। समिति ने रिपोर्ट दी 60 फीसदी काम ही पूरा हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने भी घपले घोटाले की जांच की। उन्होंने भी

भ्रष्टाचार पाया। फिर 19 जून 2017 को लखनऊ पुलिस ने गोमतीनगर थाने में रिवर फ्रंट मामले में एफआईआर दर्ज की।

17 जुलाई 2017 से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मंजूरी दी। एक दिसंबर 2017 को सीबीआई ने गोमतीनगर थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। सिंचाई

विभाग के अभियंताओं को दोषी पाया गया। मामले की जांच चल रही है। और गोमती मर रही है। इस पूरी कवायद में लगभग एक साल बीत गए। इस बीच न तो अधूरे कार्य पूरे हुए न गोमती को जलकुंभी से मुक्ति मिली। अब गोमती को बचाने वालों की यही फरियाद है कि गोमती को पहले बचा लीजिए जांच चलती रहेगी।